आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
16.02.15	**न्यायालय अपर समाहर्त्ता, पश्चिम चम्पारण, बेतिया।** **दाखिल खारिज पुनरीक्षण वाद संख्या– 177/09–10** **नंदवीर पासवान** **बनाम** **श्रीकांत चौबे** **आदेश** अपीलकर्ता नंदवीर पासवान, वल्द झींगन हजरा, ग्राम–लाल सरैया, अंचल मझौलिया ने भूमि सुधार उप समाहर्ता, बेतिया के न्यायालय में वाद संख्या 18/11–12 में दिनांक 01.03.2012 को पारित आदेश के विरूद्ध यह अपील वाद दायर किया है। अपील आवेदन पत्र को सुनवाई हेतु पंजीकृत किया गया। निम्न न्यायालय के अभिलेख की माँग की गई। दोनों पक्ष को सुनवाई हेतु सूचना निर्गत की गई। भूमि सुधार उप समाहर्ता, बेतिया का अभिलेख संख्या 18/11–12 प्राप्त हुआ है। विपक्षी द्वारा प्रतिउत्तर दाखिल किया गया है। निम्न न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से ज्ञात होता है कि अपीलकर्ता नंदवीर पासवान के द्वारा मुख्यमंत्री के जनता दरबार में समर्पित आवेदन के आधार पर वाद संख्या 18/11–12 सृजित है। प्रश्नगत जमीन मझौलिया अंचलान्तर्गत लाल सरैया मौजा का खाता संख्या– 99 खेसरा संख्या– 1297 रकबा 1 कट्ठा 1 धुर है। दोनों पक्ष को सुनने एवं उनके द्वारा दाखिल किए गए कागजात के अवलोकन के पश्चात् भूमि उप समाहर्ता, बेतिया द्वारा दिनांक 01.03.2012 को आदेश पारित किया गया कि उभय पक्षों के तर्को के सुनने उनके द्वारा प्रस्तुत किये गये लिखित जवाब एवं दस्तवेजो के परिशीलन करने एवं अंचल अधिकारी, मझौलिया द्वारा समर्पित प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि आवेदक नंदवीर पासवान प्रश्नगत भूमि को बैनामा दस्तावेज खरीदगी के आधार पर जमाबंदी सृजित करना चाहते है, जमाबंदी सृजित कराने	

16.2.15

हेतु आवेदक के द्वारा दाखिल खारिज वाद अंचल अधिकारी मझौलिया के यहाँ लाया गया लेकिन दिनांक 18.10.2008 को अंचल अधिकारी, मझौलिया के द्वारा आवेदक के दाखिल खारिज आवेदन को निरस्त कर दिया गया। जिससे विक्षुब्ध होकर दाखिल खारिज अपील भूमि सुधार उप समाहर्ता, बेतिया के यहाँ दायर किया गया लेकिन दिनांक 20.08.2009 को भूमि उप सुधार समाहर्ता, बेतिया के द्वारा पारित आदेश में अपील आवेदन को अस्वीकृत कर दिया। इस आदेश से विक्षुब्ध होकर आवेदक के द्वारा अपर समाहर्ता, पश्चिम चम्पारण, बेतिया के न्यायालय में पुनरीक्षण वाद दायर किया गया। सुनवाई के उपरान्त न्यायालय द्वारा दिनांक 08.09.2010 को आदेश पारित किया गया जिसमें अंचल अधिकारी, मझौलिया एवं भूमि उप समाहर्ता, बेतिया के आदेश को सम्पुष्ट करते हुए पुनरीक्षण आवेदन को निरस्त कर दिया गया।

भूमि सुधार उप समाहर्ता, बेतिया द्वारा आदेश में उल्लेखित है कि आवेदक का जमाबंदी सृजित करने हेतु अनुरोध का विचारण कर कोई न्याय निर्णित करना विधि सम्मत नहीं होगा, क्योंकि बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम के तहत जमाबंदी सृजित किसके पक्ष में किया जाय, से संबंधित विचार करने या न्याय निर्णित करने का प्रावधान इस न्यायालय को नहीं है। उन्होंने आदेश में यह भी उल्लेखित किया है कि अधिनियम की धारा--4(2) में वर्णित है कि सक्षम प्राधिकार को अनुसूचि--1 में शामिल किसी अधिनियम के तहत अंतिम रूप से समाप्त एवं न्याय निर्णित कार्यवाही के पुनर्विलोकन या फिर से प्रारंभ करने का क्षेत्राधिकार नहीं होगा। उक्त तथ्यों के आलोक में भूमि सुधार उप समाहर्ता, बेतिया ने दिनांक 01.03.2012 को आवेदक के आवेदन पत्र को अस्वीकृत करते हुए वाद की कार्यवाही को समाप्त कर दिया है।

अपीलकर्ता का संक्षेप में केश है कि प्रश्नगत खाता संख्या– 99 खेसरा संख्या– 1297 रकबा 1 कट्ठा 4 धुर जमीन अपीलकर्ता के पिता–स्व० झिंगन हजरा ने वर्ष 1955 में भुखल हाजरा वो जग हजरा, पिता–बादर हजरा से निबंधित कराये है, जिस पर अपीलकर्ता ने अपना

दखल कब्जा बताते हुए कहा है कि उक्त जमीन की जमाबंदी उनके नाम से कायम कर दी गई है। अपीलकर्ता का यह भी कहना है कि पुनः दिनांक 11.05.2005 उनकी पत्नी मीना देवी के नाम से 1 कट्ठा 19 धुर जमीन जीउत पासवान एवं अमेरिका पासवान पिता–स्व० भुखल पासवान से निबंधित काराई गई है, जो उनके दखल कब्जा में है। अपीलकर्ता का कहना है कि विपक्षी श्रीकांत चौबे ने प्रश्नगत खाता, खेसरा की जमीन को अपने पटीदार अनमोल चौबे से लिखवाया। अपीलकर्ता का कहना है कि उन्होने भूमि सुधार उप समाहर्ता, बेतिया के न्यायालय में विपक्षी के विरूद्ध वाद संख्या 18/11–12 दायर किया। लेकिन भूमि सुधार उप समाहर्ता, बेतिया ने अपने अपील आवेदन पत्र को खारिज कर दिया। जिसके विरूद्ध यह अपील दाखिल किया गया है।

विपक्षी द्वारा प्रतिउत्तर दाखिल किया गया है, विपक्षी का कहना है कि प्रश्नगत जमीन मझौलिया अंचल अन्तर्गत ग्राम–लाल सरैया में अवस्थित है, जिसका खाता संख्या– 99 खेसरा संख्या–1297 कुल रकबा 2 कट्ठा 19 धुर है जो सर्वेखतियान में ठग दुसाध वल्द–उमर दुसाध के नाम से दर्ज है, ठग दुसाध की मृत्यु के पश्चात् उनके दो पुत्र मोहर दुसाध एवं बादर दुसाध के दखल कब्जा में उक्त जमीन संयुक्त रूप से रही। कुछ दिनो के बाद उनलोगों के बीच पारिवारिक बँटवारा हुआ जिसके आधार पर मोहर दुसाध के प्रश्नगत खेसरा संख्या–1297 में 1 कट्ठा जमीन दिनांक 12.10.1927 को निबंधित दस्तावेज से अनमोल चौबे को बिक्री कर दिया। इसके बाद बादर दुसाध ने प्रश्नगत खेसरा संख्या–1297 में 1 कट्ठा 19 धुर जमीन बालदेव चौबे को मौखिक बिक्री कर दिया। जो विपक्षी के दादा बतलाये गये है। बालदेव चौबे को चार लडके हुये, फुलेना चौबे, हिमांचल चौबे, नगीना चौबे, एवं रामाधार चौबे। बालदेव चौबे की मृत्यु 1985 में हुई। तदोपरांत चारो लडको ने आपस में बॅटवारा कर लिया। जिसके अनुसार प्रश्नगत खेसरा संख्या–1297 में 1 कट्ठा 19 धुर जमीन फुलेना चौबे के हिस्से में मिली। फुलेना चौबे ने इस जमीन को अपनी पतोहु अनीता देवी जो विपक्षी की पत्नी, है को बख्शीशनामा कर दिया।

16.2.15

अनिता देवी ने इस जमीन का दाखिल खारिज करने हेतु अंचल अधिकारी, मझौलिया को आवेदन पत्र दिया। जिसके आधार पर दाखिल खारिज वाद संख्या 692/07–08 प्रारंभ किया गया। जिसमें अंचल अधिकारी, मझौलिया ने दिनांक 18.10.2008 को अनीता देवी के पक्ष में आदेश पारित कर दिया। जिसके विरूद्ध भूमि सुधार उप समाहर्ता, बेतिया के न्यायालय में दाखिल खारिज अपील वाद संख्या–22/09–10 दायर किया गया। जिसमें दिनांक 24.08.2009 को भूमि सुधार उप समाहर्ता, बेतिया ने अंचल अधिकारी, मझौलिया के आदेश को सम्पुष्ट कर दिया। इसके विरूद्ध अपर समाहर्ता, पश्चिम चम्पारण, बेतिया के न्यायालय पुनरीक्षण वाद संख्या–205/10–11 दायर किया गया। जिसमें दिनांक 08.09.2010 को आदेश पारित किया गया। विपक्षी का कहना है कि अनीता देवी के विरूद्ध मीना देवी ने अपील एवं पुनरीक्षण वाद दायर किया गया था। मीना देवी अपीलकर्ता नंदवीर पासवान की पत्नी है। विपक्षी द्वारा इस अपील वाद को खारिज करने हेतु आग्रह किया है।

दोनों पक्ष के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुना गया एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया। निम्न न्यायालय के अभिलेख में संलग्न दाखिल खारिज वाद संख्या–692/07–08 अपील वाद संख्या 22/09–10 दाखिल खारिज पुनरीक्षण वाद संख्या 205/10–11 में पारित आदेश की छायाप्रति संलग्न है। अंचल के दाखिल खारिज वाद संख्या–692/07–08 के अवलोकन से ज्ञात होता है, कि श्रीमती मीना देवी जौजे नंदवीर पासवान, पिता झिंगन पासवान ने प्रश्नगत खेसरा संख्या–1297 में 1 कट्ठा 19 धुर जमीन का दाखिल खारिज करने हेतु अंचल अधिकारी, मझौलिया को आवेदन पत्र दिया। उक्त जमीन की जमाबंदी श्रीमती अनीता देवी पति श्रीकांत चौबे के नाम पर दर्ज है, दोनों पक्षों के सुनने के पश्चात् अंचल अधिकारी, मझौलिया ने मीना देवी के आवेदन पत्र को अपनें आदेश दिनांक 18.10.2008 द्वारा अस्वीकृत कर दिया। जिसके विरूद्ध श्रीमती मीना देवी ने भूमि सुधार उप समाहर्ता, बेतिया के न्यायालय में दाखिल खारिज अपील वाद संख्या 22/09–10 दायर किया। जिसे भूमि सुधार

उप समाहर्ता, बेतिया ने अपने आदेश दिनांक 24.08.2009 द्वारा अस्वीकृत कर दिया। तदोपरांत श्रीमती मीना देवी एवं अन्य ने पुनरीक्षण वाद संख्या 205/10–11 दायर किया। जिसे तत्कालीन अपर समाहर्ता, पश्चिम चम्पारण, बेतिया ने अपने आदेश दिनांक 08.09.2010 द्वारा पुनरीक्षण आवेदन पत्र को अस्वीकृत कर दिया।

दोनो पक्षो को सुनने एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि जिस जमीन को लेकर पूर्व में अपीलकर्ता की पत्नी श्रीमती मीना देवी एवं विपक्षी की पत्नी अनीता देवी के बीच वाद चल चुका है, पुनः उसी को लेकर भूमि सुधार उप समाहर्ता, बेतिया एवं इस न्यायालय में वाद दायर करना विधि संगत नहीं है। तत्कालीन अपर समाहर्ता, पश्चिम चम्पारण, बेतिया द्वारा दाखिल खारिज पुनरीक्षण वाद संख्या 205/2010–11 में दिनांक 08.09.2010 को पारित आदेश के विरूद्ध आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर के न्यायालय में द्वितीय पुनरीक्षण वाद दायर किया जाना चाहिए था, जो नहीं किया गया है। इस परिस्थिति में अपीलकर्ता के अपील आवेदन–पत्र को खारिज किया जाता है।

आदेश की प्रति भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बेतिया/अंचल अधिकारी, मझौलिया को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजे।

लेखापित एवं संशोधित।

16.2.15
अपर समाहर्त्ता,
पश्चिम चम्पारण, बेतिया।

16.2.15
अपर समाहर्त्ता,
पश्चिम चम्पारण, बेतिया।